# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

**पीठासीन अधिकारी का नामः महीपाल सिंह, आर.ए.एस.**

**वाद पत्र संख्याः 97 / 2013**

**निर्णय दिनांकः 05.01.2024**

**उनवान**

1. हेमलता आचार्य पत्नी श्री सुभाष चन्द आचार्य, निवासी 1, बैंकर्स स्ट्रीट, ऐश्वर्या मेडिकल के सामने, सुभाष नगर, भीलवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा। (दौराने वाद विलोपित) जरिये प्रतिस्थापित।

1/1. राजकुमार शर्मा पुत्र श्री घासीराम शर्मा, निवासी मकान नम्बर 50, पंचवटी नगर, केशोपरा, तहसील सांगानेर, घासी बाबा की ढाणी, जयपुर।

वादी

**बनाम**

1. गार्गी बिल्डहोम प्रा0लि0 411, लुहाडिया टावर, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
2. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री नारायण जी, निवासी मु0 पो0 श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।
3. श्री एस.आर. काबरा आत्मज श्री नारायण जी काबरा, जाति काबरा, निवासी मु0 पो0 निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर, राजस्थान।
4. श्रीमति आरती चौहान पत्नी आलोक चौहान पुत्री श्री ले. कर्नल सूर्यनारायण जी, निवासी 1-क-6, माछला मंगरा, हिरणमगरी, उदयपुर।
5. श्री नारायण द्वारा श्री कैलाश आचार्य, निवासी 14, 15 सत्येन्द्रा कॉलोनी, लक्ष्मीनगर, सोडाला, जयपुर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. श्रीमान उप पंजीयक महादेय, उप पंजीयक कार्यालय, सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

**दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**निर्णय**

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादिया अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं निवेदन किया कि उक्त वाद में वादिया सहखातेदार है। वादग्रस्त भूमि का विभाजन होना है इसलिए वाद [illegible] डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादी [illegible] वादिया का वाद बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के आधार पर डिक्री किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज फरमा दिया जावें। बहस वादिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्तागण पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर वादिया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दिनांक 19.05.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र कमांक एल.आर./2022/5451 दिनांक 24.06.2022 संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है। दिनांक 27.12.2023 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9, 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 का नाम वाद पत्र से हटाये जाने के आदेश दिये गये, प्रार्थी राजकुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादिया हेमलता के स्थान पर प्रार्थी राजकुमार को वादी के रूप में संयोजित किया गया, प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जा0दी0 स्वीकार किया गया, प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2), धारा 146 जा0दी0 खारिज किया गया। दिनांक 03.01.2024 को प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र वास्ते कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 7 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी जिस स्थान पर काबिज है उसी स्थान पर कब्जा दिया जावे, कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति नही है, इसलिए तहसीलदार से पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जावें। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवदेन किया कि प्रतिवादी संख्या 7 अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र में दिनांक 19.05.2022 को प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी होना, तहसीलदार सांगानेर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट बाबत् नोटिस प्राप्त होना तथा मौके प्रतिवादी संख्या 7 का स्वयं मौके पर उपस्थित होना स्वीकार किया है। अतः प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज कर तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की जानकारी होने एवं विभाजन कुर्रेजात के समय प्रतिवादी संख्या 7 स्वयं उपस्थित होना स्वीकार किया है, तहसीलदार सांगानेर द्वारा मौके पर उपस्थित होकर कुर्रेजात रिपोर्ट बनाई गई है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से अस्वीकार कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.4000 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.4000 हैक्टेयर वाके ग्राम [illegible] मांग्यावास, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

| राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.स. | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म जमीन | लगान | खातेदार का नाम व पिता का नाम |
| 1 | 426 | 0.4000 | बारानी ए | | आरती चौहान पत्नी आलोक चौहान हिस्सा 1/66 एस. आर. पुत्र श्रीनारायण काबरा हिस्सा 1/22 ओमप्रकाश पुत्र श्रीनारायण हिस्सा 1/22 जाति ब्राह्मण नि0 1 क 6 माछला मगराहिरण मगरी से. 11 उदयपुर खातेदार गार्गी बिल्डहोम एल एल पी हिस्सा 17/22 पंजि. कार्यालय लुहाड़िया टावर अशोक मार्ग सी स्कीम जयपुर खातेदार नारायण पुत्र कैलाश आचार्य हिस्सा 1/22 पुनित शर्मा पुत्र ले. कर्नल सूर्यनारायण हिस्सा 1/66 ले. कर्नल सूर्यनारायण पुत्र अम्बिका प्रसाद शर्मा हिस्सा 1/66 हेमलता पत्नी सुभाष हिस्सा 1/22 जाति ब्राह्मण नि0 1 क 6 माछला मगराहिरण मगरी से. 11 उदयपुर खातेदार |
| | किता–01 | 0.4000 | | | |

| प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र.स. | खसरा नम्बर | रकबा | खातेदारों का नाम व पिता का नाम | किस्म |
| 1 | 426 मि. | 0.3091 | गार्गी बिल्डहोम एल एल पी पंजिकृत कार्यालय 411, लुहाड़िया टावर अशोक मार्ग सी–स्कीम जयपुर खातेदार | बारानी ए |
| | किता–01 | 0.3091 | | |
| 2 | 426 मि. | 0.0182 | हेमलता पत्नी सुभाष जाति ब्राह्मण नि0 1 क 6 माछला मगराहिरण मगरी से. 11 उदयपुर खातेदार | बारानी ए |
| | किता–01 | 0.0182 | | |
| 3 | 426 मि. | 0.0182 | आरती चौहान पत्नी आलोक चौहान हिस्सा 1/3 पुनित शर्मा पुत्र ले. कर्नल सूर्यनारायण हिस्सा 1/3 ले. कर्नल सूर्यनारायण पुत्र अम्बिका प्रसाद शर्मा हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण नि0 1 क 6 माछला मगराहिरण मगरी से. 11 उदयपुर खातेदार | बारानी ए |
| | किता–01 | 0.0182 | | |
| 4 | 426 मि. | 0.0182 | नारायण पुत्र कैलाश आचार्य जाति ब्राह्मण नि0 1 क 6 [illegible] मगरी से. 11 उदयपुर [illegible] | [illegible] |
| | किता–01 | 0.0182 | | |
| 5 | 426 मि. | 0.0182 | एस. आर. पुत्र श्रीनारायण काबरा जाति ब्राह्मण नि0 1 क 6 माछला मगराहिरण मगरी से. 11 उदयपुर खातेदार | [illegible] |
| | किता–01 | 0.0182 | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Sin
Date: 2024.02.07 15:53:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 426 मि. | 0.0182 | ओमप्रकाश पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राह्मण नि0 1 क 6 माछला मगराहिरण मगरी से. 11 उदयपुर खातेदार | बारानी ए |
| | किता–01 | 0.0182 | | |

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:07 IST
Reason: SelfAttested